भारत सरकार
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारां कत प्रश्न सं.4778
दिनांक 23 मार्च, **2020**
हाइड्रोकार्बन परियोजनाएं

4778. डॉ॰ के॰ जयकुमारः
डॉ॰ टी॰आर॰ पारिवेन्धः

क्या पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) डेल्टा क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन परियोजनाओं के क्रयान्वयन के लए अ धग्रहित की गई कृ ष भू म की कुल मात्रा कतनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इन परियोजनाओं को लागू करके कृ ष फसलों/उत्पादों संबंधी संभा वत साइड-इफक्टों और हानियों का डेल्टा क्षेत्र में कोई सर्वेक्षण कया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का लोगों के संदेहों और भय को दूर करने के लए हाइड्रोकार्बन परियोजनाओं संबंधी श्वेत पत्र की घोषणा करने का वचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) त मलनाडु में स्था पत की जाने वाली हाइड्रोकार्बन परियोजनाएं कौन सी हैं;

(ङ) इन परियोजनाओं के आरंभ होने से पहले प्राप्त की जाने वाली परियोजना-पूर्व स्वीकृति का ब्यौरा क्या है; और

(च) त मलनाडु परियोजनाओं के लए इन स्वीकृतियों की स्थिति क्या है?

उत्तर
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) ऑयल इं डया ल मटेड (ओआईएल) ने सू चत कया है क उन्होने आन्ध्र प्रदेश राज्य के पूर्वी गोदावरी जिले में कृष्णा गोदावरी बे सन परियोजना के तहत एक अन्वेषण कूप के वेधन के लए 8.19 एकड़ पैमाइश की कृ ष भू म का एक भू-खंड खरीदा है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) ने सू चत कया है क उन्होंने कावेरी परिसंपत्ति में स्थायी आधार पर 47.18 एकड़ और अस्थायी आधार पर 1728.73 एकड़ भू म का अ धग्रहण कया है। कृष्णा गोदावरी बे सन (राजामुंदरी परिसम्पत्ति) के तहत सीमान्त क्षेत्रों और आधार कार्यालय/कार्यशाला इत्यादि के लए स्थायी रूप से अ धग्रहीत भू म सहित ओएनजीसी के प्रचालनों के लए अस्थायी रुप से कुल अ धग्रहीत भू म 2692.324 एकड़ है।

(ख) और (ग) अन्वेषण और उत्पादन गति व धयाँ न केवल डेल्टा क्षेत्र में अ पतु देश के अन्य भागों में भी कृ ष के साथ सहअस्तित्व में रहती हैं। हाइड्रोकार्बनों के लए अन्वेषण और उत्पादन गति व धयों के लए स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण संबंधी सां व धक दिशा-निर्देशों का आवश्यक रूप से अनुपालन करना होता है। इन मंजूरियों को व भन्न प्रा धकारियों से प्राप्त कया जाता है। प्रचालक अन्वेषण और उत्पादन संबंधी कार्य तभी शुरू कर सकता है जब सभी सुसंगत

अनुमोदनों को प्राप्त कर लया जाए। इसके अलावा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी), 50 वर्षों से सुसंगत अनुमोदनों को प्राप्त करने के बाद डेल्टा क्षेत्र में अन्वेषण और उत्पादन गति व धयों को निष्पादित कर रहा है।

(घ) और (च) वर्ष 2019-20 के दौरान त मलनाडु राज्य में प्रदान की गई परियोजनाओं का ब्यौरा निम्न ल खत है –

ओएएलपी दौर	ब्लॉक का नाम	कंपनी	क्षेत्रफल (वर्ग कमी में)	राज्य / केन्द्र शा सत प्रदेश	कुल राज्य-वार क्षेत्रफल (वर्ग कमी में)	जिला
II	सीवाई-ओएनएचपी-2018/1	इं डयन ऑयल कॉर्पोरेशन ल मटेड	474.20	त मलनाडु	474.2	नागपि नम, तिरुवरूर
III	सीवाई-ओएनएचपी - 2018/2	ओएनजीसी	459.83	त मलनाडु	386.53	कुड्डालोर, नागपि नम
				पुडुचेरी	73.30	कराईकल
III	सीवाई-ओएनएचपी - 2018/3		1403.40	त मलनाडु	1259.43	शवगंगा, राम नाथपुरम
				अपतटीय	143.97	-

केन्द्र सरकार ने अपतट क्षेत्रों के लए पेट्रो लयम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएलस) प्रदान कया है, कन्तु अ भतट क्षेत्रों के संबंध में त मलनाडु सरकार द्वारा अभी तक उक्त लाइसेंस प्रदान नहीं कया गया है।

(ड.) हाइड्रोकार्बन परियोजनाओं को शुरू करने से पहले पर्यावरण, वन, और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी),राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निम्न ल खत मंजूरी प्राप्त की जाती है –

I. पर्यावरण संबंधी मंजूरी;
II. वन संबंधी मंजूरी (एफसी) यदि परियोजना में वन भू म का वपथन शा मल है;
III. वन्यजीवन संबंधी मंजूरी (डब्ल्यूएलसी) यदि परियोजना संर क्षत क्षेत्र (अभ्यारण, राष्ट्रीय पार्क इत्यादि) के पर्यावरणीय संवेदनशील जोन के दायरे में आती है;

IV. तटवर्ती वनियामक जोन (सीआरजेड) मंजूरी यदि परियोजना सीआरजेड क्षेत्र के दायरे में आता है;

V. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्था पत करने की सहमति और प्रचालन संबंधी सहमति।

****